<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–1 बून्दी, (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी : **विवेक शर्मा,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक अपील संख्या : **276/2018**

दिनेश जैन पुत्र कैलाश चन्द जैन निवासी पुराना बाजार, जैन मन्दिर के पास, डाबी तहसील एवं जिला बून्दी मालिक दुकान–जैन किराना स्टोर, पॉवर हाउस, डाबी तहसील एवं जिला बून्दी

–अपीलार्थी/अभियुक्त

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य

–प्रत्यर्थी

<u>अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.07.2018 द्वारा मनीषा शर्मा, आर.जे.एस. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी बउनवान राज. राज्य बनाम दिनेश जैन नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या–1920/2014</u>

<u>उपस्थित–</u>
(1) श्री गीतेश पंचोली, अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता।
(2) विद्वान अपर लोक अभियोजक, प्रत्यर्थी राज्य की ओर से

<u>नि र्ण य</u> **दिनांक : 17.03.2026**

1. अपीलार्थी/अभियुक्त दिनेश जैन की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.07.2018 के विरूद्ध श्रीमान् सेशन न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.08.2018 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई थी, जो तत्पश्चात् अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 25.07.2018 के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त दिनेश जैन को धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं नियम 50 में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये 06 माह के साधारण कारावास एवं 1,000/–रूपये के अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह हस्तगत अपील याचिका पेश की है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य निरीक्षक गिर्राज शर्मा ने दिनांक 14.02.2011 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के

न्यायालय में धारा–7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में एक परिवाद इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि अभियुक्त दिनेश जैन पुराना बाजार, जैन मन्दिर के पास, डाबी जिला बून्दी मालिक दुकान जैन किराना स्टोर पावर हाउस डाबी का रहने वाला है। उसकी दुकान में आयोडाइज्ड नमक व अन्य खाद्य पदार्थो का भण्डारण व विक्रय किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मौके पर खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र वर्ष 2010 पेश नहीं किया। दिनांक 06.10.2010 को समय 2.00 पी.एम.पर वह दुकान पर पहुंचा तो दिनेश जैन उपस्थित था तथा उसने अपने आपको मालिक होना बताया। दुकान पर खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड नमक (ब्रांड भारत शुद्ध पोली पैकिंग एक किलोग्राम) 50 नग बिक्री हेतु उपलब्ध था। मिलावट का सन्देह होने पर नमूना लेने हेतु लिखित में फार्म नम्बर–6 पर सूचना देते हुये कुल तीन पैकिंग 'तीन किलोग्राम' नमूना क्रय किया तथा बाजार भाव के अनुसार 15/–रूपये अदा कर उक्त खाद्य पदार्थ को तीन डिब्बों में बराबर–बराबर लिया तथा ढक्कन लगाया और लेबल चिपकाये एवं सील किया। मौके पर पंचनामा तैयार किया तथा स्वयं, गवाह एवं अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाये। सीलशुदा नमूनें को जांच हेतु जमा कराया तथा जांच रिपोर्ट दिनांक 03.11.2010 के अनुसार आयोडाईज्ड नमक पी.एफ.ए. में वर्णित स्तर के अनुरूप नहीं पाया जाकर मिलावटी पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 (i) सपठित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के नियम 50 के अधीन दिनांक 14.02.2011 को इस्तगासा पेश किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त इस्तगासे पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान लिया गया।

5. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आरोप पूर्व साक्ष्य के प्रक्रम पर गवाह पी. डब्ल्यू.1 गिर्राज के बयान लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में गजट नोटिफिकेशन, नाम संशोधित नोटिफिकेशन, कार्यक्षेत्र आवंटन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन क्रमशः प्रदर्श पी.1ए, पी.2ए, पी.3ए एवं पी.4, फार्म नं. 6 प्रदर्श पी–5, नमूना खरीद रसीद प्रदर्श पी–6, मौका पंचनामा प्रदर्श पी–7, एलएचए

बून्दी को जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी–8, फार्म नं. 7 प्रदर्श पी–9, जांच रिपोर्ट प्रदर्श प्रदर्श पी–10, मूल खरीद बिल प्रदर्श पी–11, फोटो पहचान पत्र पेश करने का पत्र प्रदर्श पी–12, रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श पी–13, अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी–14, परिवाद प्रदर्श पी–15, एचएलए को दी गई सूचना प्रदर्श पी–16, धारा 13 (2) की कार्यवाही प्रदर्श पी–17 को प्रदर्शित कराये गये। आरोप पूर्व साक्ष्य के उपरान्त बहस चार्ज सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्टया आरोप बनना पाए जाने पर दिनांक 05.12.2015 को अपीलार्थी/अभियुक्त दिनेश को धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं नियम 50 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने उक्त अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू–1 गिर्राज शर्मा, पी.डब्ल्यू–2 वैणी प्रकाश, पी.डब्ल्यू–3 डॉ. हेमराज नियरता को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में एरिया नोटिफिकेशन प्रदर्श पी–1 लगायत पी–4, फार्म नं. 6 प्रदर्श पी–5, नमूना खरीद रसीद प्रदर्श पी–6, मौका पंचनामा प्रदर्श पी–7, एलएचए बून्दी को जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी–8, फार्म नं. 7 प्रदर्श पी–9, जांच रिपोर्ट प्रदर्श प्रदर्श पी–10, मूल खरीद बिल पेश करने हेतु प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–11, फोटो पहचान पत्र पेश करने का पत्र प्रदर्श पी–12, रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श पी–13, अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी–14, परिवाद प्रदर्श पी–15, धारा 13(2) की कार्यवाही की रजिस्ट्री रसीद पेश करने बाबत् सूचना प्रदर्श पी–16, धारा 13 (2) के अन्तर्गत दी गई सूचना प्रदर्श पी–17 को प्रदर्शित करवाकर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त का दिनांक 17.02.2017 को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षण किया गया तो उसने स्वयं के विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

8. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर आक्षेपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत अपील मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की गई है :–

1. विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध रिकार्ड पर ऐसी कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं थी, जिससे उसके विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जा सके, इसके बावजूद अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में कानूनी भूल की है।

3. अपीलार्थी/अभियुक्त न तो सम्बन्धित दुकान का मालिक है और न ही प्रोपराईटर है। उसके द्वारा न तो अपने आपको जैन किराना स्टोर डाबी का मालिक होना बताया है और न ही ऐसे कोई दस्तावेज रेस्पोडेण्ट को उपलब्ध करवाये गये हैं, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर न कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है।

9. अन्त में अपीलार्थी/अभियुक्त ने उक्त अपील को स्वीकार कर आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

10. दौराने बहस भी अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्यतः यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विधान के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अभियोजन साक्ष्य से अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को दण्ड़ित करने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसला कानून, विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के परे होने से निरस्तनीय है, अतएव अपीलाण्ट को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अभियुक्त ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

1. State (Delhi Administration) vs Ram Singh & Anr., reported (2009) 1 FAC 371 Cr.L.R. (SC) 997 Vijendra vs State of Uttar Pradesh

2. Smt. Nirmal Jain vs The State Govt. of NCT of Delhi Department of P.F.A. Crl. Appeal no. 04/2014
3. 2014(3) Cr.L.R. (Raj.) 1194
   State of Rajasthan vs Laxmi Narayan & Ors.
4. 1999 Cr.L.R. (Raj.) 567
   Rampal vs State of Rajasthan
5. 2002(2) Cr.L.R. (Raj.) 1609
   Paraga Ram vs State of Rajasthan
6. 2018(1) Cr.L.R. (Raj.) 139
   Ramdeo Meena vs State of Rajasthan

11. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय एवं दण्डादेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से आलौच्य निर्णय एवं दण्डादेश को पुष्ट करने का निवेदन किया।

12. उभयपक्ष के तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

13. इस न्यायालय की सुविचारित राय में हस्तगत अपील के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिए निम्न बिन्दु विचारणीय है :–

(1) **"आया विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा नियम 50 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिये दोषसिद्ध किये जाने में कोई तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है ?"**

14. अवधार्य प्रश्न के सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सापेक्ष आक्षेपित निर्णय दिनांक 25.07.2018 का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का यह तर्क

रहा है कि हस्तगत प्रकरण में जन विश्लेषक की रिपोर्ट अभियुक्त को भेजा जाना प्रमाणित नहीं है, अतएव प्रकरण में धारा 13(2) पी.एफ.ए. के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से अभियुक्त के मूल्यवान अधिकार प्रभावित हुए हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाये एवम् अपने उक्त तर्को के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अपीलर्थी द्वारा पूर्वानुसार 2014(3) Cr.L.R. (Raj.) 1194 State of Rajasthan vs Laxmi Narayan & Ors., 1999 Cr.L.R. (Raj.) 567 Rampal vs State of Rajasthan व 2002(2) Cr.L.R. (Raj.) 1609 Paraga Ram vs State of Rajasthan पेश किए, जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

पी.एफ.ए. की धारा 13(2) के उपर्युक्तानुसार आज्ञापक प्रावधान की पालना के संबंध में यदि पत्रावली का अवलोकन करें तो पी.डब्ल्यू–3 हेमराज का बयान रहा है कि दिनांक 11.02.2011 को वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी के पद पर तैनात था। उस दिन गिर्रज सिंह खाद्य निरीक्षक ने दिनेश जैन पुत्र कैलाश जैन, निवासी–पुराना बाजार, जैन मन्दिर के पास, डाबी की पत्रावली प्रस्तुत की और उसके द्वारा बाद अवलोकन पत्रावली प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाते हुए अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी.14 दी तथा जरिए प्रदर्श पी.17 के अभियुक्त को धारा 13(2) की सूचना दी। परिवादी पी.डब्ल्यू–1 गिर्राज का मुख्य परीक्षण में बयान रहा है कि एच.एल.ए. बून्दी द्वारा धारा 13(2) की कार्यवाही के तहत अभियुक्त को जांच रिपोर्ट जरिए रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जो कि न्यायालय में पेश प्रार्थना–पत्र प्रदर्श पी.16 पर 'सी' मार्क से चस्पा है।

परन्तु साक्षी पी.डब्ल्यू–3 हेमराज मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी का स्वयं की साक्ष्य में ऐसा कोई उल्लेख नहीं रहा है कि उसके द्वारा जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. या अन्यथा धारा 13(2) के उपबन्धानुसार उक्त सूचना अभियुक्त को दी हो। हालांकि पूर्वानुसार परिवादी पी.डब्ल्यू–1 गिर्राज द्वारा रजिस्ट्री रसीद पेश की गई है, परन्तु प्रदर्श पी.16 के मार्क 'सी' पर चस्पा रसीद रजिस्ट्री में अभियुक्त/अपीलार्थी का पूर्ण पता (दिनेश जैन पुत्र कैलाश चन्द जैन निवासी पुराना बाजार, जैन मन्दिर के पास, डाबी तहसील एवं जिला बून्दी मालिक दुकान–जैन किराना स्टोर, पॉवर हाउस, डाबी तहसील एवं जिला बून्दी) अंकित नहीं होकर मात्र दिनेश जैन, डाबी अंकित है। ऐसी स्थिति में यह नहीं

माना जा सकता कि धारा 13(2) की सूचना अभियुक्त दिनेश जैन के पते पर ही भेजी गई हो और पत्रावली पर ए.डी. भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह भी प्रकट नहीं होता है कि धारा 13(2) की सूचना अभियुक्त दिनेश जैन को वितरित हो गई हो एवम् जिस तथ्य को परिवादी पी.डब्ल्यू–1 गिर्राज ने जिरह में स्वीकार करते हुए कहा है कि उसने रजिस्ट्री भेजे जाने की पावती पेश नहीं की, परन्तु उक्त लोप का कोई कारण नहीं बताया। ऐसी स्थिति में पी.एफ.ए. की धारा 13(2) के आज्ञापक प्रावधानानुसार जन विश्लेषक की रिपोर्ट बाबत् सूचना अभियुक्त को प्राप्त होने सम्बन्धी तथ्य प्रमाणित माना जाना न्यायोचित नहीं है, जबकि यह एक आज्ञापक प्रावधान है कि परिवाद पेश करने के 10 दिन के अंदर उक्त रिपोर्ट अभियुक्त को भेजी जाये, ताकि वह युक्तियुक्त समय में खाद्य नमूने का पुनः परीक्षण केन्द्रीय प्रयोगशाला से करवा सके। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि जन विश्लेषक की रिपोर्ट को भेजने में विलंब अथवा उक्त रिपोर्ट अभियुक्त को वितरित नहीं होना धारा 13(2) के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है एवम् उससे अभियुक्त के मूल्यवान अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है तथा केवल इसी आधार पर दोषसिद्धि अपास्त की गयी है। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण के समान होने से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होना पाये जाते हैं, परिणामस्वरूप हस्तगत प्रकरण में धारा 13(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के उक्त आज्ञापक प्रावधान की पालना युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करवा पाने में अभियोजन/परिवादी पक्ष के असफल रहने से अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार हो जाता है।

15. अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि आयोडाईज्ड नमक का सैंपल लेने के पश्चात् उसे परीक्षण हेतु भिजवाया गया। सैंपल की पब्लिक एनालिस्ट रिपोर्ट और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल) की रिपोर्ट में काफी भिन्नता होने से सैंपल रिप्रिजेंटेटिव प्रकृति का नहीं माना जा सकता है, अतः इस आधार पर विचारण न्यायालय का दण्डादेश अपास्त कर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये। उक्त तर्क के समर्थन में अपीलार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं :–

i. State (Delhi Administration) vs Ram Singh & Anr., reported (2009) 1 FAC 371 Cr.L.R. (SC) 997 Vijendra vs State of Uttar Pradesh

ii. Smt. Nirmal Jain vs The State Govt. of NCT of Delhi Department of P.F.A. Crl. Appeal no. 04/2014

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत State (Delhi Administration) vs Ram Singh & Anr., reported (2009) 1 FAC 371 Cr.L.R. (SC) 997 Vijendra vs State of Uttar Pradesh में यह अभिनिर्धारित किया है कि ''यदि सैंपल लिये जाने के पश्चात् पब्लिक एनालिस्ट रिपोर्ट और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल) की रिपोर्ट के मध्य भिन्नता 0.3 प्रतिशत से अधिक आती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि सैंपल रिप्रिंजेटेटिव प्रकृति का था एवं अभियुक्त इस आधार पर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।''

इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध पब्लिक एनालिस्ट रिपोर्ट व केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल) की रिपोर्ट का अवलोकन करें तो पब्लिक एनालिस्ट रिपोर्ट में नमूने में Iodine Content 12.7 PPM तथा Black dirt particles होना पाए गए है, जबकि सी.एफ.एल. रिपोर्ट में Iodine Content 05.33 PPM तथा Black dirt particles नहीं पाए गए है। इस प्रकार पब्लिक एनालिस्ट रिपोर्ट व केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल) की रिपोर्टों के अवलोकन से उनमें Iodine Content बाबत् 0.3 प्रतिशत से अत्यधिक भिन्नता होना स्पष्ट प्रकट होता है तथा नमूना सैम्पल में Black particles तो सी.एफ.एल. रिपोर्ट में पाए ही नहीं गए है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में प्रश्नगत सैंपल रिप्रिंजेटेटिव प्रकृति का होना नहीं माना जा सकता है, अतः इस आधार पर भी अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

16. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का विचारण वारण्ट ट्रायल मामले के रूप में किया गया है, जबकि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत अपनानी चाहिए थी, अतः संपूर्ण विचारण

दूषित होने से अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने न्यायिक दृष्टांत–2018(1) Cr.L.R. (Raj.) 139 Ramdeo Meena vs State of Rajasthan पेश किया है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 धारा 16ए, 7/16(1)(ए), 13(2), 20 का विचारण न्यायालय ने वारण्ट मामले के रूप में विचारण किया, जबकि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, अतएव संपूर्ण विचारण दूषित हुआ तथा धारा 13(2) व 20 के प्रावधानों का आज्ञापक होना प्रकट किया।

उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में विचारण वारण्ट मामले की तरह किया गया है। संपूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर यह भी जाहिर है कि विचारण न्यायालय ने कहीं भी ऐसा कोई आदेश अपनी आदेशिका में उल्लेखित नहीं किया है कि उसने उभय पक्षकारान को सुनने के बाद आदेश पारित किया हो कि अमुक कारण से इस मामले का विचारण वारण्ट मामले की तरह किया जाना अपेक्षित होने से, इस प्रकरण का विचारण वारण्ट मामले की तरह किया जायेगा। अतः विचारण न्यायालय का कोई ऐसा आदेश पत्रावली पर नहीं होने से मामले का संपूर्ण विचारण दूषित होना पाया जाता है। अतः इस आधार पर भी अभियुक्त की दोषसिद्धि को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

17. इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित दोषसिद्धि का निर्णय दिनांक 25.07.2018 तथ्यात्मक एवं कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य में आये तात्विक एवं सारवान विरोधाभासों पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त दिनेश जैन को धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवम् नियम–50 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध कर

दण्डित किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी/अभियुक्त की हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य हो जाती है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त दिनेश जैन धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवम् नियम–50 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य हो जाता है।

:: आदेश ::

18. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त दिनेश जैन की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 1920/2014, राजस्थान राज्य बनाम दिनेश जैन में पारित आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 25.07.2018 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त दिनेश जैन को धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवम् नियम–50 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

19. इस निर्णय की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(विवेक शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–1,
बून्दी (राजस्थान)

20. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–1,
बून्दी (राजस्थान)